# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स/एलआर/3191/2004/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी.....

बनाम

भैरू पुत्र धन्ना जाति बागडा ब्रहम्ण निवासी बिचपडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी.....

**एकलपीठ**
**श्री रामनिवास जाट, सदस्य**

**उपस्थितिः–**
श्रीमती पूनम माथुर, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री योगन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण के।

**निर्णय**

**दिनांक–**13.01.2021

यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 16–4–2004 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, आमेर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी बंदोबस्त संवत 2037–40 ग्राम बिचपडी के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंकित आराजी खसरा नं0 219 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नं0 74 रकबा 0.28 है0 भूमि मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी के नाम खाते में दर्ज रिकार्ड थी तथा कृषक के कॉलम में खदु काश्त दर्ज थी। लेकिन दौराने रिकार्ड उक्त आराजी गलती से अप्रार्थी के खाते में दर्ज कर दी गयी। इस प्रकार भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह विधि विरूद्ध होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्त प्रविष्टियों को विलोपित किया जाकर विवादित भूमि को पुनः मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथजी के नाम अंकित किया जावें। प्रार्थना पत्र पेश

होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। उभयपक्ष की सुनवाई करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16-04-2004 द्वारा अनुशंषा करते हुए यह रेफरेन्स प्रकरण मण्डल को प्रेषित किया।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस रेफरेन्स प्रकरण में सुनी।

4. योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथ जी की थी, जिसे दौराने रिकार्ड जमाबंदी बनाते समय मूर्ति मंदिर का नाम विलोपित कर दिया गया तथा रेफरेन्स में अंकित आराजी 1.02 बीघा भूमि को अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया । इस प्रकार भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह बिना किसी आधार व आदेश के किया गया है। माफी मंदिर की भूमि का हस्तातंरण अप्रार्थी के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किया गया है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। अतः विवादित भूमि पुनः मंदिर के नाम दर्ज किए जाने योग्य है। अतः विवादित भूमि को अप्रार्थी की निजी खातेदारी से हटाकर पुनः माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त करता आ रहा है। अप्राथीगण आज भी मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में भी उनके नाम दर्ज चली आ रही है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि जागीर अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 व 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है। जागी अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अनुसार उन व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है जो इस एक्ट के प्रभाव में आने के दिन बतौर टीनेन्ट काश्त करते थे। जिस दिन यह एक्ट प्रभाव में आया उस दिन उत्तरदातागण के उक्त पूर्वज विवादित आराजी बतौर टीनेन्ट के काबिज रहकर काश्त करते थे। इसलिए उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। विवादित आराजी मूर्ति जागीर अधिग्रहण अधिनियम प्रभावशील होने के दिन दिनांक 16.2.52 कीं या मंदिरों की माफी खत्म होने के दिन दिनांक 01. 7.63 को मूर्ति मंदिर खुद काश्त काबिज नहीं थी और न रिकार्ड आफ

राईटस में इस प्रकार इन्द्राज है बल्कि प्रश्नगत भूमि पर पूर्व से ही अप्रार्थी के पूर्वज बतौर टीनेन्ट काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए काश्तकारी अधिनियम के तहत वे स्वतः खातेदार काश्तकार है। बहस के अन्त में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत रेफरेन्स को खारिज करने का निवेदन किया । विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 2000 आर0आर0डी0 पेज 13, 2016 आर0आर0टी0 पेज 130, 317, 435 आदि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6. मैने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7. प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया कि जमाबंदी बंदोबस्त संवत 2037–40 ग्राम बिचपडी के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंकित आराजी खसरा नं0 219 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नं0 74 रकबा 0.28 है0 भूमि मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी के नाम खाते में दर्ज रिकार्ड थी तथा कृषक के कॉलम में खदु काश्त दर्ज थी। लेकिन दौराने रिकार्ड उक्त आराजी गलती से अप्रार्थी के खाते में दर्ज कर दी गयी। इस प्रकार भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह विधि विरूद्ध होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ ने 2015(4) आर0एल0डब्ल्यू0(राज0)पेज 2721 तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के समय कृषक के कालम में किसी काश्तकार का नाम दर्ज हो तो जमाबंदी में अभिलिखित कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेगें । यदि कृषक के कालम में खुदकाश्त दर्ज हो तो आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें और आराजी मूर्ति मंदिर की मानी

जावेगी और उस पर पुजारी अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। इसके अतिरिक्त यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मूर्ति मंदिर की भूमि पर एडर्वस पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें।

परन्तु इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि से सबंधित राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी व मिलान क्षेत्रफल आदि रिकार्ड का न तो पूर्ण परीक्षण किया गया है और न ही पूर्ण विवेचन व विश्लेषण किया गया है। सबंधित राजस्व रिकार्ड का पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करने के उपरांत ही किसी विधिसम्मत निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता था जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है।

8. उक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत रेफरेन्स को लौटाया जाकर अति0 जिला कलेक्टर, चतुर्थ, जयपुर को निर्देश दिये जाते है कि वे रेफरेन्स प्रकरण के समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, खसरा गिरदावरी व मिलान क्षेत्रफल आदि पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत ही अधिनियम की धारा 82 में अंकित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये अपनी स्पष्ट राय व सभी सबंधित राजस्व रिकार्ड के साथ रेफरेन्स नवीनतः प्रस्तुत किया जावे।

9. निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(रामनिवास जाट)**
**सदस्य**